[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली,10 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में दी गई हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे, यथा:-

तालिका

क्रम सं.	**अधिसूचना संख्या तथा तारीख**	**संशोधान**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	18/2015-सीमा शुल्क दिनांकि 1 अप्रैल, 2015 [दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की सा.का.नि. संख्या 254(अ) के तहत प्रकाशित]	उक्त अधिसूचना में,- (क) शर्त (vi) के पश्चात निम्नलिखित शर्तें अन्त:स्थापित की जाएंगी, यथा:- "(vi) (क) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पुरी तरह निभाने के पश्चात आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि निर्यात माल के विनिर्माण और सप्लाई के लिए प्रयुक्त इनपुट पर संबंधित माल एवं सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ लिया गया है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने में कर योग्य माल(शून्य दर या पूर्णत: छूट प्राप्त आपूर्तियों के अलावा) के विनिर्माण में किया जाएगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 6 महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है; बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) और उप धारा (9) के तहत समेकित कर और

		माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करता है, तो ऐसी आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा सकती है; (vi)(ख) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है और यदि संबंधित माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग की गई इनपुट पर नहीं लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौंप देता है तो आयातित सामग्री की शर्त (vi) (क) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है;"; (ख) शर्त (viii) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रस्थापित किया जाएगा, यथा:- "बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को भौतिक निर्यात या अधिसूचना संख्या 48/2017-केंद्रीय कर दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 [दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 की सा.का.नि. संख्या 1305(अ) के तहत प्रकाशित] में निहित तालिका के क्रम सं. 1, 2 और 3 में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा;"; (ग) शर्त (xii) को हटा दिया जाएगा।
2.	20/2015- सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की सा.का.नि. सं. 256(अ) के तहत प्रकाशित]	उक्त अधिसूचना में,- (क) शर्त (v) के पश्चात निम्नलिखित शर्तें अन्त:स्थापित की जाएंगी, यथा:- "(v) (क) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पुरी तरह निभाने के पश्चात आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि निर्यात माल के विनिर्माण और सप्लाई के लिए प्रयुक्त इनपुट पर संबंधित माल एवं सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ लिया गया है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने में कर योग्य माल(शून्य दर या

		पूर्णत: छूट प्राप्त आपूर्तियों के अलावा) के विनिर्माण में किया जाएगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 6 महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है; बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) और उप धारा (9) के तहत समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करता है, तो ऐसी आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा सकती है; (v)(ख) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है और यदि संबंधित माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का लाभ निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग की गई इनपुट पर नहीं लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौंप देता है तो आयातित सामग्री की शर्त (v) (क) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है;"; (ख) शर्त (viii) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रस्थापित किया जाएगा, यथा:- "बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को भौतिक निर्यात या अधिसूचना संख्या 48/2017-केंद्रीय कर दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 [दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 की सा.का.नि. संख्या 1305(अ) के तहत प्रकाशित] में निहित तालिका के क्रम सं. 1, 2 और 3 में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा;"; (ग) शर्त (xiii) को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 605/52/2017-डीबीके(पार्ट I)]

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (प्रतिअदायगी)

नोट:

(1) प्रधान अधिसूचना सं 18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 254(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 66/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 26 सितंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 26 सितंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

(2) प्रधान अधिसूचना सं 20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 66/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 26 सितंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 26 सितंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।